रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99



# The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 376] No. 376] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 30, 2009/आषाढ़ 9, 1931 NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 30, 2009/ASADHA 9, 1931

# कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जून, 2009

सा.का.नि. 452(अ),—पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 53) की धारा 95 की उप-धारा (2) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार के परामर्श से निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थातु :—

 संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम पौधा किस्म और कृषक अधिकार (रजिस्ट्रीकरण के लिए सुभिन्नता, एकरूपता और स्थायित्व के लिए मापदण्ड) विनियम 2009 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

 परिभाषाएं.—(1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा-अपेक्षित हो—

 (क) "अधिनियम" से पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 अभिप्रेत है;

(ख) "जरनल" से भारतीय पौधा किस्म जरनल अभिप्रेत है;

(2) सभी अन्य शब्दों और पदों के, जो इस विनियम में प्रयुक्त है, और परिभाषित नहीं है किन्तु अधिनियम में परिभाषित है वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में है।

 पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण प्रत्येक फसल के लिए सुभिन्नता, एकरूपता और स्थायित्व परीक्षण के लिए दिशानिर्देश बनाएगा और जरनल में प्रकाशित करेगा । 4. ऐसी किस्म जिसके बारे में सामान्य जानकारी है, कि रजिस्ट्रीकरण के लिए सुभिन्तता, एकरूपता और स्थायित्व के मानदण्ड.—(1) ऐसी किस्म जिसके बारे में सामान्य जानकारी है, कि रजिस्ट्रीकरण के लिए सुभिन्तता, एकरूपता और स्थायित्व के मानदण्ड जरनल में विनिर्दिष्ट निम्नलिखित किस्मों और प्लाट साइज का अनुसरण करते हुए सुभिन्नता, एकरूपता और स्थायित्व की पुष्टी करने के प्रयोजन के लिए एक मौसम में दो स्थानों पर स्थलीय परीक्षण करके निर्धारित किये जाएंगे ।

(2) कोई व्यक्ति जो अधिनियम की धारा 14 के खण्ड (ख) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करता है, स्थलीय परीक्षण और राष्ट्रीय जीन बैंक में भण्डारण के उद्देश्य से पांच बराबर भागों मे बंटे पैकेटों में बीज की आधी मात्रा जमा करायेगा और बीज प्रदाय प्रक्रिया जरनल में विनिर्दिष्ट के अनुसार होगी ।

5. कृषक किस्म के रजिस्ट्रीकरण के लिए सुभिन्नता, एकरूपता और स्थायित्व के मानदण्ड.—(1) कोई व्यक्ति जो अधिनियम की धारा 14 के खण्ड (ग) के तहत रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करता है, स्थलीय परीक्षण और राष्ट्रीय जीन बैंक में भण्डारण के उद्देश्य से पांच बराबर भागों में बंटे पैकेटों में बीज की आधो मात्रा जमा करायेगा और बीज प्रदाय प्रक्रिया जरनल में विनिर्दिष्ट के अनुसार होगी ।

(2) जहां किस्म की सुभिन्नता को प्रमाणित किये जाने को आवश्यकता है, परीक्षण केन्द्रों में सुभिन्नता, एकरूपता और स्थायित्व के लिए स्थलीय परीक्षण करवाये जाएंगे ।

(3) नमूना किस्म के साथ कृषक किस्म और कोई अन्य समरूप किस्म युग्मित पंक्ति परीक्षण में मुल्यांकित की जायेगी ।

(4) पंक्ति की लम्बाई और पौधों की संख्या जरनल में विनिर्दिष्ट के अनुसार होगी।

2370 GI/2009

(5) यह दोहरा परीक्षण होगा और जरनल में विनिर्दिष्ट को अनुसरण करते हुए सुभिन्नता की पुष्टि करने के सीमित प्रयोजन से एक मौसम में दो स्थानों पर होगा ।

(6) संबंधित प्रजातियों के लिए कृषक किस्म के लिए एकरूपता स्तर जरनल में विनिर्दिष्ट पृथक किस्मों के दुगुने से अधिक नहीं होगी।

परन्तु प्रत्येक फसल के लिए अनुज्ञात पृथक किस्मों की संख्या तैयार की जायेगी और जरनल में प्रकाशित की जायेगी ।

(7) यदि किस्म एकरूपता मानदण्ड पूरा करती है तो इसे स्थायित्व मानदण्ड पूरा किया हुआ समझा जायेगा ।

[फा. सं. 1-7/2008-एसडी-V]

उपमा चौधरी, संयुक्त सचिव

### MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Co-operation)

### NOTIFICATION

## New Delhi, the 29th June, 2009

G.S.R. 452(E).—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section 2 of Section 95 of the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act, 2001 (53 of 2001), the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Authority hereby makes, with the approval of the Central Government, the following regulations, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These Regulations may be called the Protection of Plant Varieties and Farmers Rights (Criteria for Distinctiveness, Uniformity and Stability for Registration) Regulations, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—(1) In these regulations, unless the context otherwise requires,

- (a) "Act" means the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act, 2001;
- (b) "Journal" means the Plant Variety Journal of India;

(2) All other words and expressions used in these regulations and not defined, but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. The Protection of Plant Varieties and Farmers Rights Authority shall develop and publish in the Journal guidelines for the distinctiveness, uniformity and stability test for each crop.

4. Criteria of Distinctiveness, Uniformity and Stability for registration of variety about which there is

**Common Knowledge.**—(1) The criteria for distinctiveness, uniformity and stability for registration of a variety about which there is a common knowledge shall be determined by conducting a field test for one season at two locations for the purpose of confirming the distinctiveness, uniformity and stability following the descriptors and plot size as may be specified in the Journal.

(2) Any person who applies for registration under clause (b) of Section 14 of the Act shall submit half the quantity of seeds as divided into five equal numbers of packets for the purpose of field test and also for storing in the National Gene Bank and the seed supply procedures shall be such as may be specified in the Journal.

5. Criteria of Distinctiveness, Uniformity and Stability for registration of farmers' variety.—(1) Any person who applies for registration under clause (c) of Section 14 of the Act shall submit half the quantity of seeds as divided into five equal numbers of packets for the purpose of field test and also for storing in the National Gene Bank and the seed supply procedures shall be such as may be specified in the Journal.

(2) Wherever the distinctiveness of the variety is required to be verified, field test will be conducted for distinctiveness, uniformity and stability in the test Centres.

(3) The farmers' variety along with example variety and any other similar variety shall be evaluated in the paired row test.

(4) The length of the row and plant population shall be such as may be specified in the Journal.

(5) It shall be a replicated trial and will be conducted for one season at two locations for the limited purpose of confirming the distinctiveness, following the descriptors such as may be specified in the Journal.

(6) The uniformity levels for Farmers' variety for the respective species shall not exceed double the number of off-types such as may be specified in the Journal.

Provided that the number of permitted off-types for each crop shall be developed and published in the Journal.

(7) If the variety meets the uniformity criteria, it shall be deemed to have met the stability criteria.

[F. No. 1-7/2008-SD-V] UPMA CHAWDHRY, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.